

भारतीय सर्वेक्षण विभाग
SURVEY OF INDIA

टेलीफोन Telephone : 0172-2607580
फैक्स Fax : 0172-2607580
ई-मेल E-mail : hp.gdc soi@gov.in



हिमाचल प्रदेश
भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र
HIMACHAL PRADESH
GEO-SPATIAL DATA CENTRE
सेक्टर 32-ए, दक्षिण मार्ग
SECTOR 32-A, DAKSHIN MARG
चण्डीगढ़-160 030 (यू.टी.)
CHANDIGARH-160 030 (U.T.)
दिनांक 23 दिसम्बर Dec., 2016

सं० प्रशा०- 4123 /17-वाई(सूचना अधिनियम)

कार्यालय ज्ञापन


विषय: पारदर्शी अधिकारी (ट्रांसपेरेंसी ऑफिसर) की नियुक्ति के संबंध में ।

सूचना का अधिकार अधिनियम-05 की धारा 19(8)(ए) के तहत केन्द्रीय सूचना आयोग को प्रदत्त शक्तियों के आधार पर आयोग ने लोक प्राधिकारी को सूचना का अधिकार अधिनियम-05 की धारा के तहत निर्धारित दायित्वों के अंतर्गत प्रत्येक गतिविधि के लिए निर्धारित समय सीमा के अंदर ही पूरा करने का निर्देश दिया है ।

इस अधिनियम के धारा 4 में निर्धारित दायित्वों के कार्यान्वयन के लिए आयोग ने पुनः सभी लोक प्राधिकारियों को किसी एक वरिष्ठ अधिकारी को पारदर्शी अधिकारी नामित करने का निर्देश दिया है । पारदर्शी अधिकारी का मुख्य कार्य का सार है - सूचना का अधिकार अधिनियम-05 की धारा 4 के प्रावधानों के प्रभावी एवं सक्रिय क्रियान्वयन द्वारा लोक प्राधिकारी में संस्थानिक पारदर्शिता को प्रोत्साहित करना । इसमें सम्मिलित है - प्रभावी अभिलेख प्रबंधन, अभिलेखों का अंकीकरण, नेटवर्किंग तथा सक्रिय सर्वर्द्धित प्रकटीकरण ।

तदनुसार श्री रामपाल सिंह, अधीक्षक सर्वेक्षक को हिमाचल प्रदेश भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, चण्डीगढ़ का पारदर्शी अधिकारी (ट्रांसपेरेंसी ऑफिसर) नामित किया जाता है, जिनका ब्यौरा निम्नलिखित है:-

पता :- हिमाचल प्रदेश भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र,
भारतीय सर्वेक्षण विभाग, दक्षिण मार्ग, सेक्टर 32-ए,
चण्डीगढ़ (U.T.)
दूरभाष :- 0172-2607580
फैक्स :- 0172-2607580
ई-मेल :- hp.gdc soi@gov.in
उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा ।


(प्रशांत कुमार)
निदेशक

हिमाचल प्रदेश भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र

प्रतिलिपि:

1. भारत के महासर्वेक्षक को उनके दिनांक 02-12-2016 के ई-मेल के संबंध में सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत ट्रांसपेरेंसी अधिकारी का नाम वेबसाइट पर अपडेट करने हेतु प्रेषित ।
2. अपर महासर्वेक्षक, उत्तरी क्षेत्र, चण्डीगढ़ को सूचनार्थ।
3. श्री रामपाल सिंह, अधीक्षक सर्वेक्षक को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु ।
4. मॉडर्न फाइल/नोटिस बोर्ड ।